न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

अपील संख्या 110/2024 तारीख रजू 02.12.2024

प्रहलाद पुत्र बजरंगलाल गुर्जर निवासी क्यारदा खुर्द, तहसील खण्डार। --- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार। --- रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति –

श्री महावीर जाट एडवोकेट – अपीलार्थी
पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 19.06.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 16/2020 मे पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम क्यारदा खुर्द के आराजी खसरा नम्बर 440, 454 रकबा 2.00 बीघा किस्म चरागाह पर संवत 2077 मे जिन्स जोत कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए एक माह (30) दिवस के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला विधि के विरूद्ध एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने ख0नं0 440, 454 रकबा 2 बीघा किस्म चरागाह पर जिन्स जोत वाके ग्राम क्यारदा पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी हासिल नहीं की गई ना मौका देखा गया है हल्का पटवारी की झूंठी शिकायत को सत्य मानकर गलत निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने हल्का पटवारी को मौके पर ले जाकर अपना कब्जा नहीं होने बाबत् भी कहा गया था लेकिन हल्का पटवारी ने गलत ढंग से नोटिस जारी कराये गये जबकि ग्राम पंचायत व गांव के किसी व्यक्ति ने आज तक अतिक्रमण होने या करने की शिकायत भी नहीं की गई है ना अपीलान्ट अतिक्रमण करने प्रयासरत है ना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का फैसला निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय फैसला करने से पूर्व अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार नहीं देने तथा मौके की भौतिक सत्यापन नहीं कर ने से अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खारिज किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:40:27 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

योग्य है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलाण्ट स्वयं की तामील हुई है। बावजूद तामील अपीलान्ट नियत दिनांक को जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर हो जाती है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो, किन्तु अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए अपील अपीलान्ट सजा की हद तक स्वीकार किया जाने योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का एक शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा/कब्जा–काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ–पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावें। यदि भौतिक सत्यापन में अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड बहाल रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:40:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर